भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 330

दिनांक 02 दिसम्बर,2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

एमपीईडीए योजनाएं

330. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के पास समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु लंबित आवेदनों का आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान योजना-वार तथा वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय के पास एमपीईडीए की वित्तीय सहायता योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के लिए औसत प्रसंस्करण समय का आंकड़ा है और यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान इनकी औसत अवधि कितनी है;

(घ) क्या एमपीईडीए की केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वीकृत वित्तीय सहायता के संवितरण में विलंब हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या एमपीईडीए ने वित्तीय सहायता के इच्छुक आवेदकों के लिए दस्तावेज़ीकरण और मंजूरी की सुविधा के लिए एकल खिड़की प्रणाली शुरू की है या शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(च) क्या एमपीईडीए नए निर्यातकों और छोटे स्तर के जल कृषि उद्यमियों को योजना की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कोई ढांचागत प्रबंधन या सुगमता हेतु सहायता देता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क), (ख), (ग) और (घ): समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु आवेदनों से संबंधित डेटा एमपीईडीए द्वारा बनाए रखा जाता है। मंत्रालय मूल्य संवर्धन और जलीय कृषि विकास के लिए लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु “सब्सिडी” सहित योजना के विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत एमपीईडीए को आवंटित निधियां वितरित करता है। लाभार्थियों को निधियां वितरित करने की प्रक्रिया एमपीईडीए द्वारा कोच्चि स्थित अपने मुख्यालय और देश भर के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संभाली जाती है। एमपीईडीए वित्तीय सहायता वितरित करने की प्रक्रिया का प्रबंधन करता है जिसमें आवेदन स्वीकार करना, दस्तावेजों की जांच करना, वास्तविक सत्यापन, सिफारिश, आवेदनों का अनुमोदन देना और लाभार्थियों को निधियों का अंतिम वितरण शामिल है। वर्ष पूरा होने पर,

एमपीईडीए मंत्रालय को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है जिसमें वर्ष के दौरान एमपीईडीए द्वारा किए गए व्यय को दर्शाया जाता है।

एमपीईडीए द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एमपीईडीए को प्राप्त 47 वित्तीय सहायता आवेदनों में से 37 आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है और अब तक 21 लाभार्थियों को कुल 19.82 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। 16 आवेदकों से संबंधित शेष 15.94 करोड़ रुपये अंतिम संवितरण के लिए एमपीईडीए द्वारा संसाधित किए जा रहे हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान एमपीईडीए की वित्तीय सहायता योजनाओं की योजना और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध** के रूप में दिया गया है। एमपीईडीए की मूल्य संवर्धन योजना के तहत वित्तीय सहायता के आवेदनों के लिए अधिकतम प्रसंस्करण समय आवश्यक दस्तावेजों और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन 90 दिन है। एक्वाकल्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत सहायता के संबंध में, अग्रिम अनुमोदन जारी करने के लिए अधिकतम समय 12 दिन है और अंतिम आवेदन के प्रसंस्करण के लिए 36 दिन हैं। एमपीईडीए नियमित निगरानी के माध्यम से आवेदनों के प्रसंस्करण में विभिन्न चरणों के लिए समयसीमा का पालन सुनिश्चित करता है इसके अलावा, एमपीईडीए को लाभार्थियों को स्वीकृत वित्तीय सहायता के वितरण में किसी भी देरी का सामना नहीं करना पड़ा है, क्योंकि वित्तीय सहायता सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा की जा रही है।

(ड.): एमपीईडीए के पास एक ऑनलाइन पोर्टल प्रणाली है जहाँ इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्त होते हैं और उनका निपटान किया जाता है। ऑनलाइन प्रणाली सरल दस्तावेज़ीकरण और समयबद्ध प्रसंस्करण सुनिश्चित करती है। जिस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत निर्यातक इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं, उसका लिंक एमपीईडीए की वेबसाइट https://e-mpeda.nic.in/registration/Reg_login.aspx पर उपलब्ध है।

(च): जी हाँ। एमपीईडीए अपने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से नए निर्यातकों और लघु-स्तरीय जलीय कृषि उद्यमियों सहित समुद्री उत्पाद निर्यातकों को एमपीईडीए की विभिन्न योजनाओं के तहत पंजीकरण और वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सुविधा, समय पर सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। समुद्री उत्पाद निर्यातकों, प्रसंस्करणकर्ताओं और जलीय कृषि विशेषज्ञों की सहायता के लिए 8 क्षेत्रीय प्रभाग, 10 उप-क्षेत्रीय प्रभाग, 3 व्यापार संवर्धन कार्यालय, 5 गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ और 2 डेस्क कार्यालय हैं। एमपीईडीए की वित्तीय सहायता योजना के दिशानिर्देश एमपीईडीए की वेबसाइट (www.mpeda.gov.in) पर उपलब्ध हैं। यह आवश्यक प्रासंगिक सहायक दस्तावेज़ के विवरण के साथ आवेदन जमा करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया बताता है। नए निर्यातकों की सहायता करने के लिए, निर्यातकों के पंजीकरण की प्रक्रिया का विवरण एमपीईडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है और नये पंजीकरण के लिए लिंक *https://e-mpeda.nic.in/registration/Reg_login.aspx.* पर उपलब्ध है।

अनुबंध

एमपीईडीए की विशिष्ट मूल्यवर्धित समुद्री उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टीडीएसवीएमपी) योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के लिए वित्तीय सहायता (वास्तविक एवं वित्तीय) का योजना-वार एवं वर्ष-वार विवरण ।

पीएचवाई-वास्तविक (यूनिट/लाभार्थियों की संख्या)

एफआईएन- वित्तीय (वित्तीय सहायता)

(लाखों में)

योजना	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		कुल	
	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
मूल्य वर्धित उत्पाद विकास (एसवीए) के लिए सहायता	10	1,299.29	11	2,637.39	6	1,494.75	3	555.31	10	2,518.49	40	8505.23
प्रक्रिया स्वचालन (एसपीए) के लिए सहायता	3	25.04	0		0		1	41.04	1	50	5	116.08
कोल्ड स्टोरेज विकास के लिए सहायता (एससीएस)	14	608.91	6	274.23	2	100.71	2	258.1	3	192.5	27	1434.45
चिल्ड फिश प्रबंधन सुविधाओं (एसगीएफ) के निर्माण के लिए सहायता	0	0	1	12.52	0	0	3	52.25	1	35.08	5	99.85
सूखी मछली प्रबंधन सुविधाओं (एसडीएफ) के निर्माण के लिए सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
पूर्व-प्रसंस्करण केंद्र	4	22.35	1	4.06	0	0	0	0	0	0	5	26.41
सीसीडी-परिवहन	0	0	1	7.89	0	0	0	0	0	0	1	7.89
कुल	31	1,955.59	20	2,936.09	8	1,595.46	9	906.7	15	2,796.07	83	10189.91

*****